UPMP040138162026

Presented on : 11- 05- 2026
Registered on : 11- 05- 2026
Decided on : 15- 06- 2026
Duration : 0 years, 1 months, 4 days

IN THE COURT OF
Civil Judge Junior Devision- FTC AT ,Mainpuri
Presided Over by SRI AZAM REHMANI

Criminal Misc. Cases/ 1303/ 2026

राजप्रताप बनाम सोहन।

अन्तर्गत धारा- 173(4) BNSS
थाना- एलाऊ, जिला मैनपुरी ।

दिनांक- 15. 06. 2026

1- पत्रावली आज आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। पूर्व दिनांक पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर **आवेदक राजप्रताप पुत्र श्री अवधेश सिंह** के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथ पत्र **आवेदक राजप्रताप पुत्र श्री अवधेश सिंह** की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी राजप्रताप पुत्र श्री अवधेश सिंह निवासी ग्राम परगवा पोस्ट भांवत थाना एलाऊ जिला मैनपुरी का निवासी है प्रार्थी दिनांक :- 03. 05. 2026 को समय करीब 11. 30 बजे सुबह अपने भाई उदयप्रताप के साथ बैठकर घर पर भोजन कर रहे थे। तभी पास के गाँव कुडरिया के रहने वाले सोहन व मोहन पुत्रगण शिवराम व शिवम् पुत्र सोहन प्रार्थी के घर में घुस आये और आते ही माँ बहिन की गन्दी गन्दी गाली गलौज करने लगे प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो उक्त लोगो ने एक राय होकर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई साथ घर में घुसकर जान से मारने नियत से लात घूसो ने मारपीट करने लगे और सोहन के हाथ में एक सरिया थी जिससे उसने मुझे मारा मेरे वाये हाथ की ऊगली में

काफी चोट आयी है जिस कारण मैं किसी प्रकार का कार्य को नही कर पा रहा हूँ। चीख पुकार सुनकर मेरी माँ मुन्नी देवी और मेरी भाभी नेहा मौके पर आ गये जिन्होने मुझे व मेरे भाई का बचाने का प्रयास किया लेकिन उक्त लोगो ने उनके साथ मारपीट की शोर शरावा सुनकर मुहल्ले के सतेन्द्र पुत्र श्याम सिंह व आकाश पुत्र श्री प्रकाश सिंह निवासी मुरान फर्रुखाबाद हाल निवासी आवास विकास मैनपुरी जो प्रार्थी के भाई उदयप्रताप से मिलने गया था उन्होने हम लोगो को बचाया तथा घटना को अपनी आँखो से देखा। जाते वक्त उक्त लोग धमकी देकर गये कि अगर तूने कोई कार्यवाही की तो तुझे व तेरे परिवार को जिन्दा नही छोडेगे। प्रार्थी उक्त घटना की थाना हाजा रिपोर्ट लिखाने गया तो प्रार्थी की रिपोर्ट नही लिखी और न ही प्रार्थी की चोटो का मेडीकल कराया। तब प्रार्थी दिनांक :- 05. 05. 2026 को अपनी चोटो का मेडीकल जिला चिकित्सालय मैनपुरी कराया। तब मजबूर होकर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये डाक दिनांक :- 05. 05. 2026 भेजा जिस पर कोई अमल मे नही लायी गयी। तब यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर रहा है।

3- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) दं०प्र०सं० प्रार्थी का शपथ पत्र, एस०पी० मैनपुरी को दिया गया प्रार्थना पत्र, रजिस्ट्री की रसीद, मेडीकल प्रपत्र की छायाप्रति व स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति का आवलोकन किया। बी०एन०एस०एस० 2023 की धारा 173(4) के प्रावधानों के तहत थाने के द्वारा प्रस्तुत की गयी पुलिस आख्या का अवलोकन किया। थाने की आख्या के अनुसार थाना हाजा के अभिलेखों से आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्शायी गयी घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत होना नहीं पाया गया है।

4- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5- प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को विपक्षी के नाम व पता ज्ञात है। इस प्रकार प्रार्थी को मामले का तथ्यगत संज्ञान है। वह अपने साक्ष्य के माध्यम से मामले को साबित कर सकता है। मामले में कोई असाधारण व असामान्य स्थिति नहीं है न हीं विवेचना के उपरान्त किसी नये तथ्य के आने की संभावना है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना आवश्यक नहीं है। इस स्तर पर **सुखवासी लाल बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2007(59) ए. सी. सी 739 इलाहाबाद खण्ड पीठ में माननीय उच्च न्यायालय** द्वारा अवधारित सम्मानित विधि व्यवस्था को उल्लेखित किया जाना समीचीन होगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि मजिस्ट्रेट धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थनापत्र के निस्तारण में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, वह चाहे तो मामले में एप. आई. आर. दर्ज करा सकता है या उसे परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है अथवा

उसे निरस्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण को परिवाद मामले के रूप में पंजीकृत कर इसकी जांच स्वयं नयायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र, परिवाद मामले के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु, स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/ आवेदक **राजप्रताप पुत्र श्री अवधेश सिंह** का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को परिवाद मामले के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा- 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हेतु दिनांक- 27. 06. 2026 को पेश हो।

दिनांक- 15. 06. 2026

(आजम रहमानी)
सिविल जज (अ०व०) ,एफ. टी. सी. /
14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।